

न्यायालय मध्यस्थ (जिला कलक्टर), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी - भगवती प्रसाद, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 32/2017

RCMS Case Reg. 2017/00042

प्रार्थी / अपीलार्थी :-

अप्रार्थी / रेस्पोंडेंट्स:-

श्री जाकीर हुसैन पिता श्री शेख
अलीहुसैन टाटीवाला, उम्र 45 वर्ष,
जाति बोहरा, निवासी नई आबादी, बनाम
बाँसवाड़ा तहसील व जिला
बांसवाड़ा (राज)

1. भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
प्राधिकरण राजमार्ग सं. 113, बांसवाड़ा।
2. तहसीलदार, तहसील बांसवाड़ा।
3. सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं
उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपठित धारा 26, 28,
29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land

Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

प्रतिकर की राशि के विनिर्धारण हेतु

- उपस्थित : 1- श्री हीरालाल जैन, - अधिवक्ता, प्रार्थीपक्ष
2- श्री योगेश सोमपुरा, - अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक :- 29-06-2018

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, प्रार्थी के निजी स्वामित्व व आधिपत्य के आवासीय भूखण्ड, भूखण्ड संख्या ए-1 जिसकी साईज 84 फीट बाय 80 फीट + 72 फीट/2 जिसका क्षेत्रफल 6240 वर्गफीट व भूखण्ड संख्या ए-2 जिसकी साईज 84 फीट बाय 70 फीट + 50 फीट/2 जिसका क्षेत्रफल 5040 वर्गफीट इस प्रकार दोनो भूखण्डो का कुल क्षेत्रफल 11288 वर्गफीट वाके बडगाँव "बी" क्षेत्र मे स्थित है तथा उक्त भूखण्ड आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 695/1 का एक भाग है तथा प्रार्थी उक्त आबादीशुदा भूखण्डों पर क्रय दिनांक से काबिज है। प्रार्थी के निजी स्वामित्व व आधिपत्य के आवासीय भूखण्ड, भूखण्ड संख्या बी-1 जिसकी साईज 80 फीट + 90 फीट/2 बाय 85 फीट + 80 फीट/2 जिसका क्षेत्रफल 7012.5 वर्गफीट व भूखण्ड संख्या बी-2 जिसकी साईज 50 फीट + 33 फीट/2 बाय 80 फीट + 82 फीट/2 जिसका क्षेत्रफल 3361.5 वर्गफीट इस प्रकार दोनो भूखण्डो का कुल क्षेत्रफल 10374 वर्गफीट वाके बडगाँव "बी" क्षेत्र मे स्थित है तथा उक्त भूखण्ड आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 695/2 का एक भाग है



Decision 2016.doc

भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

तथा प्रार्थी उक्त आबादीशुदा भूखण्डो पर क्रय दिनांक से काबिज है। अप्रार्थी नं. 3 सक्षम अधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा ने अपने आदेश क्रमांक एफ/राजस्व/2015/699-704 दिनांक 20.07.2015 से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 113 प्रतापगढ से पाडी खण्ड किलोमीटर 80 से 180 तक भूमि अवाप्ति के संबंध में आने वाली भूमि को अवाप्त किये जाने के संबंध में एवार्ड जारी किया गया है। उक्त निर्धारित प्रस्तावित मुआवजा राशि की नकल संलग्न है। अप्रार्थी नं. 3 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रस्तावित मुआवजा राशि के संबंध में जारी एवार्ड क्रमांक एफ/राजस्व/2015/699-704 दिनांक 20.07.2015 में सर्वे नं. 695/1 में प्रार्थी के भूखण्ड संख्या ए-1 व ए-2 में से 6456 वर्गफीट भूमि की मुआवजा राशि रूपया 10,37,221/- अक्षरे दस लाख सैंतीस हजार दौ सौ इक्कीस रूपया मात्र निर्धारित की गई है, जो प्रतिकर की राशि की दर भी बाजार मूल्य से काफी अल्प राशि है। अप्रार्थी नं. 3 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रस्तावित मुआवजा राशि के संबंध में जारी एवार्ड क्रमांक एफ/राजस्व/2015/699-704 दिनांक 20.07.2015 में सर्वे नं. 695/2 में प्रार्थी के भूखण्ड संख्या बी-1 व बी-2 में से 4630 वर्गफीट भूमि की मुआवजा राशि रूपया 6,79,106/- अक्षरे छः लाख उन्चासी हजार एक सौ छः रूपया मात्र निर्धारित की गई है, जो प्रतिकर की राशि की दर भी बाजार मूल्य से काफी अल्प राशि है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि का स्वामी होकर हितबद्ध व्यक्ति है तथा प्रस्तावित अधिनिर्णय प्रतिग्रहित नहीं करता है व Arbitrator के द्वारा अवधारण (Adjudication) चाहता है। इस कारण मामले में अवधारण कराने का प्रार्थी को कानूनन हक प्राप्त है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(जी)(7) में अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु स्पष्ट प्रावधान है। जिसमें भूमि के डी.एल.सी. मूल्य की दौ गुना राशि कर तथा उक्त दुगुनी राशि का 100 प्रतिशत तोषण (सोलेशियम) कर अवाप्ति से हुई क्षतियों को ध्यान में रख कर अवार्ड पारीत किया जाना आवश्यक है। परन्तु भूमि आवप्ति सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए प्रश्नगत अवार्ड पारीत किया है। जो मनमाना, चंचल व अविधिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने अधिसूचना संख्या 2112 (अ)/नई दिल्ली दिनांक 08.09.2012 को अखबार में प्रकाशन के बाद अविलम्ब भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा के यहां आपत्ति भी दर्ज करा दी थी। उक्त आपत्ति को भी अवाप्ति अधिकारी ने ध्यान में नहीं रखा है तथा बाद में कलम नं. 4 व 5 में बताये अनुसार मुआवजा राशि निर्धारित की है, जो गलत है। वर्तमान में प्रार्थी की प्रश्नगत भूमि आबादी भूमि है तथा उक्त भूमि आबादीशुदा सर्वे नं. 695/1 में से प्रार्थी की भूमि 6456 वर्गफीट भूमि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर उक्त भूमि का मुआवजा रूपया 27,11,520/- अक्षरे सत्ताईस लाख ग्यारह हजार पांच सौ बीस रूपया होता है। इसी प्रकार सर्वे नं. 695/2 में से प्रार्थी की भूमि 4630 वर्गफीट भूमि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर उक्त भूमि का मुआवजा रूपया 19,44,600/- अक्षरे उन्नीस लाख चुम्मालीस हजार छः सौ रूपया होता है। इस प्रकार कुल रकम रूपया 46,56,120/- अक्षरे छियालीस लाख छप्पन हजार एक सौ बीस रूपया तथा उक्त राशि का 100 प्रतिशत तोषण दिया जाना आवश्यक है तथा 100

D:\AF\Dicson\2016.doc

अमृत प्रसाद
बिला कन्क्टर
बांसवाडा

प्रतिशत तोषण की राशि रूपया 46,56,120/- अक्षरे छियालीस लाख छप्पन हजार एक सौ बीस रूपया होती है। इस प्रकार कुल रकम रूपया 93,12,240/- अक्षरे तरानवे लाख बारह हजार दौ सौ चालीस रूपया एवं उक्त रकम पर अधिसूचना की तिथी से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्रार्थी पाने का अधिकारी है। उक्त अवाप्त की गई भूमि व उससे लगी हुई कुल भूमि का मुआवजा नियमानुसार अभी तक प्रार्थी को अदा नहीं किया गया है। इस कारण भू-अवाप्ति की कुल कार्यवाही Lapse हो चुकी है। इस कारण नियमानुसार आज की मार्केट वेल्यू के हिसाब से व भू-अवाप्ति अधिनियम व नियमों के अनुसार मय समस्त लाभो व परिलाभो व ब्याज सहित अदा की जाने योग्य है। इस कारण नियमानुसार उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थी को अदा करने का एवार्ड जारी करने के आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक है जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा -

(1) 2016 DNJ (SC) 507, Aligarh Development Authority Vs Maghsingh & Others

(2) 2016 DNJ (SC) 468 Shakuntala Yadav & Ors Vs State of Hariyana & Ors व अनेकानेक न्यायिक उद्धरणो मे वैधिक सिद्धान्त प्रतिवादित किये गये है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा उठाई गई उपरोक्त आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र को धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम व धारा 26, 28, 29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधानों के अधिन प्रार्थी के पक्ष में एवं प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध निम्न आशय का एवार्ड पारीत करावे कि :-

(क) यह कि, सर्वे नं. 695/1 व 695/2 मे प्रार्थी के भूखण्ड संख्या ए-1, ए-2, बी-1 व बी-2 की कुल भूमि मे से 11086 वर्गफीट भूमि का प्रचलित बाजार मुल्य की 2 गुना की दर से रूपया 46,56,120/- अक्षरे छियालीस लाख छप्पन हजार एक सौ बीस रूपया तथा उक्त राशि पर 100 प्रतिशत तोषण की राशि रूपया 46,56,120/- अक्षरे छियालीस लाख छप्पन हजार एक सौ बीस रूपया इस प्रकार कुल रकम रूपया 93,12,240/- अक्षरे तरानवे लाख बारह हजार दौ सौ चालीस रूपया या अन्य रकम जो वाजिब बनती है, वह मुआवजा दिलाया जावे व अन्य परिलाभ जो कानूनन प्रार्थी पाने की अधिकारी है, वह भी दिलाया जावें।

(ख) यह कि, कुल राशि रूपया 93,12,240/- अक्षरे तरानवे लाख बारह हजार दौ सौ चालीस रूपया पर नियमानुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज ताअदायगी दिलाया जावे।

(ग) यह कि, इस मामले का व्यय व पारिश्रमिक अभिभाषक प्रार्थी को प्रत्यर्थीगण से दिलाया जावे।

(घ) यह कि, अन्य अनुतोष जो न्यायहित में आवश्यक हो प्रार्थी को प्रत्यर्थीगण से दिलाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया।



भगवती प्रसाद
निता कलक्टर
अलीगढ़

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 क की उप धारा (1) के अधीन भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 08-09-2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है, जिसकी नियमानुसार अधिनियम की धारा 3 (C) के तहत आपत्तियां आमन्त्रण के पश्चात प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अधिनियम की धारा 3 (D) की अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई। मामले में नियमानुसार अधिनियम की धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत धारा 3 (क) की अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक 08-09-2012 को प्रचलित बाजार दर के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है, जो सही होकर नियमानुसार है। अतः आर्बिटेशन प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आर्बिटेशन की परिधि में नहीं आने से उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है, प्रार्थी ने तथ्यों को छुपा कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी जिस भूमि का प्रार्थना पत्र लेकर पेश हुआ है, उक्त आराजी भूमि का गजट प्रकाशन नियमानुसार अवार्ड पारित होकर उक्त आराजी के मुआवजे का नियमानुसार अवार्ड जारी होने की दिनांक से जमा करा दिया गया, जो कि प्रार्थी के हित के अनुरूप उक्त जमा मुआवजा को पाने की अधिकारी है तथा जिस कारण उक्त आराजी का मुआवजा जारी होने से उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। अवार्ड में स्पष्ट उल्लेखित है कि धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत धारा 3-क की अधिसूचना के गजट प्रकाशन की दिनांक 08-09-2012 को प्रचलित बाजार दरों की सूचना उप पंजीयकों से मंगवाई गई है। डीएलसी दरें का तात्पर्य जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य से है, इसी कारण अवाप्ताधीन भूमि एन. एच. पर स्थित को मान कर प्राप्त डीएलसी की दर से मुआवजा निर्धारण किया गया है। जो सही है। इसके अतिरिक्त For determination of Market value of large track of land for Acquisition. value of small plots is not applicable. AIR 1989 P & H 27 Hukum chand V. Hariyana State में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। अतः यदि कोई प्लॉट (small of Land plote) आता है तो उसका निर्धारण पुरे ट्रेक पर स्थित भूमियों के अनुरूप किया जाएगा। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत अधिग्रहित की गई है, उक्त अधिग्रहित कार्यवाही पर Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, चूंकि उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 क की उप धारा (1) के अधीन भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 08-09-2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिला नगर परिषद् के 15 किमी परिधि में होने वाले अधिग्रहित भूमि पर दोगुना राशि व 100 प्रतिशत तोषण के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत अधिसूचना की दिनांक को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा निर्धारण का प्रावधान है, जो कि मुआवजे के अवार्ड जारी हो चुके हैं, जिससे प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।




भगवती प्रसाद
जिला कलेक्टर
जहानाबाद

भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाड़ा द्वारा प्रकरण में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम बडगांव के संख्या नम्बर 696/1 रकबा 1 बीधा 4 बिस्वा में से 0.166 हैक्टेयर रीना पत्नि रमणलाल भील निवासी डांगपाडा, खसरा नम्बर 696/2 रकबा 1 बीधा 5 बिस्वा में से 0.121 हैक्टेयर मीरा पत्नि विजयलाल भील निवासी डांगपाडा एवं खसरा नम्बर 696/3 रकबा 1 बीधा 4 बिस्वा में से 0.002 हैक्टेयर दुर्गा पत्नि लक्ष्मण भील निवासी डांगपाडा की रूपान्तरित आबादी भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी होकर अवार्ड पारित हुआ है। प्रार्थी जाकीर हुसैन पिता शेख अली हुसैन टाटिवाला की जरिये रजिस्ट्री क्रयशुदा रूपान्तरित भूमि निम्नानुसार अवाप्त हुई है।

खसरा नम्बर	क्रयशुदा भूमि	अवाप्त भूमि
696/1	20755.50 वर्ग फीट	17862.00 वर्ग फीट
696/2	21308.00 वर्ग फीट	13020.00 वर्ग फीट
696/3	20434.00 वर्ग फीट	215.00 वर्ग फीट
कुल	62497.50 वर्ग फीट	31097.00 वर्ग फीट

ग्राम बडगांव के खसरा संख्या 696/1 रकबा 1 बीधा 4 बिस्वा में से 0.166 हैक्टेयर रीना पत्नि रमणलाल भील नि. डांगपाडा, खसरा नम्बर 696/2 रकबा 1 बीधा 5 बिस्वा में से 0.121 हैक्टेयर मीरा पत्नि विजयलाल भील नि. डांगपाडा एवं खसरा नम्बर 696/3 रकबा 1 बीधा 4 बिस्वा में से 0.002 हैक्टेयर दुर्गा पत्नि लक्ष्मण भील निवासी डांगपाडा की रूपान्तरित आबादी भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 113 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी हुई है। प्रार्थी जाकीर हुसैन पिता शेख अली हुसैन की क्रयशुदा रूपान्तरित आबादी भूमि 691/1 में से 17862 वर्ग फीट, 696/2 में से 13020 वर्ग फीट एवं 696/3 में से 215 वर्ग फीट कुल 31097 वर्ग फीट भूमि का कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर से रु. 4,21,399/- का त्रुटी से अवार्ड जारी हुआ है। उक्त स्वीकृत राशि का प्रार्थी जाकीर हुसैन पिता शेख अली हुसैन को BOB शाखा बांसवाड़ा का बैंक सं 784157 रु. 4,21,399/- मुआवजा राशि का बैंक जारी किया गया है। प्रार्थी उक्त अवाप्तशुदा भूमि का कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर से उक्तानुसार राशि 4,21,399/- रूपया का बैंक जारी किया गया। प्रार्थी ने कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर से बैंक लेने से इंकार कर दिया। जबकि प्रार्थी की उक्त अवाप्तशुदा भूमि रूपान्तरित अवासीय आबादी दर्ज रेकार्ड है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन अधिसूचना संख्या 2112 (अ) नई दिल्ली 8 सितम्बर 2012 को समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी की अधिसूचना दिनांक 23.08.2013 को समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार राजस्व ग्राम बडगांव का आराजी नम्बर 696/1 रकबा 1 बीधा 4 बीस्वा रीना पत्नि रमणलाल भील निवासी डांगपाडा की कृषि भूमि कार्यालय विहित प्राधिकारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक राजस्व/2010/ 318-24 दिनांक 10-12-2010, आराजी नम्बर 696/2 रकबा 1 बीधा 5 बीस्वा मीरा पत्नि विजयलाल भील निवासी डांगपाडा की कृषि भूमि कार्यालय विहित प्राधिकारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक




 भगवती प्रसाद
 जिला कलेक्टर
 बांसवाड़ा

राजस्व/2010/ 304-10 दिनांक 10-12-2010 एवं आराजी नम्बर 696/3 रकबा 1 बीघा 4 बीस्वा दुर्गा पत्नि लक्ष्मण भील निवासी डांगपाडा की कृषि भूमि कार्यालय विहित प्राधिकारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक राजस्व/2010/ 311-17 दिनांक 10-12-2010 द्वारा कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ गजट नोटिफिकेशन से पूर्व सम्परिवर्तन हुआ है। प्रार्थी जाकीर हुसैन पिता शेख अली हुसैन बोहरा ने सकीना पत्नि मुल्ला होजेफा जाति बोहरा निवासी मोहम्मदीपुरा बांसवाडा द्वारा श्रीमती रीना पत्नि रमणलाल, मीरा पत्नि विजयलाल एवं दुर्गा पत्नि लक्ष्मण से क्रयशुदा भूमि का दिनांक 06.08.2012, 05.10.2012 एवं 28.12.2012 को जरिये रजिस्ट्री क्रय किया है। जिसमें से सडक निर्माण के पश्चात् एलाईमेन्ट अनुसार तहसीलदार बांसवाडा की रिपोर्ट मुताबिक खसरा नम्बर 696/1 में से 17862 वर्ग फीट, 696/2 में से 13020 वर्ग फीट एवं 696/3 में से 215 वर्ग फीट कुल 31097 वर्ग फीट भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 में अवाप्त हुई है। अवाप्तशुदा 31097 वर्ग फीट भूमि के अवार्ड के समय मुताबिक पंजीबद्ध विक्रय विलेख में अंकित ग्राम बडगांव-बी की वर्ष 2010-11 की आबादी भूमि की डी.एल.सी. दर में 15% पश्चात् 10% जोडकर की गई गणना अनुसार 48,11,813/- एवं स्वीकृत परिसम्पत्ति की राशि 53,340/- कुल 48,65,153/- अक्षरे अडतालीस लाख पैसठ हजार एक सौ तरेपन रूपया मात्र मुआवजा राशि बनती है। यह विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत होने से सहायता राशि (माईक्रो-प्लान) R&R का निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वयं सेवी संस्था (NGO) द्वारा किया जाता है।

दिनांक 29-06-2018 को उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई।

विपक्षी संख्या एक की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए धारा 3-जी (7)(ए) के तहत अधिसूचना की दिनांक को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा निर्धारण का प्रावधान है, जो मुआवजा पूर्व में जारी हो चुका है, जिससे प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थी पक्ष की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस में कथन किया कि प्रार्थीया की आवासीय भूमि अवाप्त की गई है, तथा कृषि भूमि की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण कर चैक जारी किया गया, जिसे प्रार्थीया द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। अतः अवाप्त शुदा आवासीय भूमि का नियमानुसार आवासीय भूमि की दर से मुआवजा दिलाये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रार्थी की आवासीय भूमि अवाप्त की गई है, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा ने भी अपने जवाब में स्पष्ट उल्लेख किया है कि कृषि भूमि की दर से अवार्ड जारी होने से प्रार्थी को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है।



D:\NF Decision 2016.doc

भगवती प्रसाद
जिला कलेक्टर
बांसवाडा

अतः उक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्नगत आवासीय भूमि का नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाकर अवार्ड जारी करावें। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं इससे सम्बद्ध निर्धारित किए गए प्रावधानों के अनुरूप सहायता राशि की गणना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से करवाई जाकर प्रार्थी को अवार्ड एवं सहायता राशि का भुगतान कराया जावे। विपक्षी संख्या 1 भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, बांसवाड़ा (राज.) को निर्देशित किया जाता है अवार्ड के आधार निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी को भुगतान कराया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29-06-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(भगवती प्रसाद)
मजिस्त्री कलक्टर
बांसवाड़ा